2026:AHC-LKO:59528

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW**

TRANSFER APPLICATION (CIVIL) No. - 165 of 2026

Jyoti Vidya Mandir Anandpuri Chhawni Sarkar Thru Manager Dayanand Mishra	…..Applicant)s)

Versus

Nagar Palika Parishad Gonda through its Its President And others	….. Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Anurag Tripathi, Amrendra Singh
Counsel for Respondent(s)	:	Vijay Dixit, C.S.C.

Court No. - 19

HON'BLE SYED QAMAR HASAN RIZVI, J.

1. Shri A.M. Tripathi, learned Senior Advocate assisted by Shri Anurag Tripathi, along with Shri Akhand Pratap Singh, learned counsel for the applicant, Shri Pritish Kumar, learned Additional Advocate General assisted by Shri Shailendra Kumar Singh, learned Chief Standing Counsel for the State-opposite party no. 2; Shri Anil K. Tripathi, learned counsel for the Nagar Palika Parishad, Gonda-opposite party no. 1 and, Shri Vijay Dixit, learned counsel appearing for the High Court Administration are present.

2. By means of the present Transfer Application preferred under Section 24 of the Code of Civil Procedure, the applicant has prayed for the following relief:-

> "to issue an order or direction to transfer the Suit No. 721 of 1997 pending before the learned Civil Judge (Senior Division), Gonda/FTC Neveen/ACJM Gonda to out of the division i.e., from Division of Devi Patan

> Mandal to Faizabad Division or Lucknow Division so that the petitioner may get justice in the aforesaid matter, in the interest of justice."

3. It is submitted by learned counsel for the applicant that a suit for permanent injunction having Suit No. 721 of 1997 is pending before the learned Civil Judge (Senior Division), FTC *Neveen*/ACJM, Gonda, wherein Issues have already been framed on 12.02.2018 and the proceeding is in the evidence stage. It has also been brought to the notice of the Court that as an interim measure an order of status-quo was passed by the Court in the case, which is still continuing.

4. It is alleged by learned counsel for the applicant that the opposite parties are misusing their office not only by threatening the office bearers of the applicant of dire consequences but are putting undue pressure on the learned Court seized with the matter to regulate the proceeding of the case in the manner they want. To substantiate the allegation made by the applicant, the learned Senior Advocate has drawn the attention of this court towards a letter dated 04.08.2026 written by learned Civil Judge (Senior Division) Gonda to the learned District Judge, Gonda. The contents of the letter dated 04.08.2026 are extracted here-in-below for convenience:-

> प्रेषिका,
> शबीना खान,
> सिविल जज (सी०डि०), गोण्डा।
> सेवा में,
> माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा।
>
> विषय-न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) पर लम्बित मूलवाद संख्या-721/1997 ज्योति विद्या मन्दिर बनाम नगरपालिका के सम्बन्ध में।
>
> महोदय,
> ससम्मान अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय पर मूलवाद संख्या-721/1997 ज्योति विद्या मन्दिर बनाम नगरपालिका की पत्रावली लम्बित है। उक्त प्रकरण के सम्बधि में अवगत कराना है कि-
>
> दिनांक 15.07.2026 को 1:26PM पर मो०ज० 9818911977 से मेरे फोन नं० 8090631105 पर एक काल आयी। मेरे सात साल के बेटे ने काल पिक किया और फोन करने वाली महिला ने पूछा

आपकी मम्मी कहाँ है। उसने बताया कि मेरी मम्मी अभी टॉयलेट गयी है। फिर पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने बताया हस्सान फिर उसकी उम्र पूछी। फिर पूछा आपका कोई छोटा बहन भाई है। तो उसने बताया नहीं। फिर उसने पूछा कि आप अपना नाम बताइये तो महिला बोली कि मैं अपना नाम नहीं बताऊँगी। आपकी मम्मी से बताऊँगी।

फिरे मेरे बेटे ने फोन कट कर दिया। While attending the phone he was watching the video on Mobile Phone."

"पुनः 2:32 मिनट पर उसी नम्बर से काल आती है। काल रिसीव करके मैंने पूछा कि बताइये कौन है आप तो मैडम बोली कि मैं कमीश्नर देवी पाटन मण्डल दुर्गा शक्ति नागपाल बोल रही हूँ। आप कब तक छुट्टी पर रहेगी। मैंने पूछा आप यह सब क्यूँ पूछ रही है। क्यों जानना चाहती हैं और फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बार मुकदमें के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आपके कोर्ट में लम्बित है। मैंने फोन कट कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई कमीश्नर फोन करके क्यूँ किसी मुकदमें की बात करेगा और सरकारी वकील तो मुकदमें की पैरवी करने के लिए सरकार की तरफ से कोर्ट में आते ही है। मुझे यह भी नहीं पता था कि यह नम्बर कमीश्नर का है या एक Fake Call है।"

"फिर 3:21 PM पर ही आशुतोष स्टेनो का फोन नं० 8173806305 से आता है। मैंने बात की 5 मिनट लगभग बात हुई तो उसने बताया कि विकास स्टेनो बात करना चाहते हैं। विकास स्टेनो ने बताया कि कमीश्नर देवी पाटन मण्डल दुर्गा शक्ति नागपाल के स्टेनो कोर्ट में आये थे और आपकी छुट्टी के बारे में पूछ रहे थे तथा आपका नम्बर भी माँग रहे थे।"

"फिर समय 3:32 PM पर मेरी बात कमीश्नर मैडम से हुयी तो उन्होंने फोन उठाते ही कहा कि अच्छा हुआ कि आपने मुझसे बात कर ली नहीं तो मैं आपकी शिकायत हाईकोर्ट करने वाली थी। आपको तमीज नहीं है कि सीनियर आई०ए०एस० ऑफिसर से कैसे बात करते हैं. मैं 27 साल की सर्विस में ऐसा ऑफिसर नहीं देखा। मुझे तो आपने व्यवहार से ऐसा लगा कि आप Judicial Officer है भी या नहीं। मैं बोलने की कोशिश करती रही कि मैडम आप पहले मेरी बात तो सुन ले लेकिन वह बोली कि आप मुझे पहले सुनिये आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया है अभी आप तो मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रही है और मुझे तो यह लग रहा कि कैसे संस्कार है आपके। मैं आपकी Subordinate नहीं हूँ। जो आपने मेरा फोन Disconnect कर दिया। मैंने कहा मैडम आप शिकायत करना चाहती है तो जरूर करे लेकिन मैं आपको छुट्टी का समय और अवधि बताने के लिए Bound नहीं हूँ। मैं लीव पर हूँ और कब तक रहूँगी यह मैं नहीं बता सकती मैं न तो आपको जानती हूँ न आपका नम्बर जानती हूँ। मैं कैसे जान सकती हूँ कि

आप कौन बोल रही है। Fake Call भी आती है। लोग Identity का Missuse भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार का पक्ष किसी मुकदमे में रखने के लिए सरकारी वकील (पैरोकार) आते हैं और वह पर्याप्त होते हैं। यह सब कहने के बावजूद वह बहुत देर तक अपना क्रोध प्रकट करती रही कि मैं सीनियर आई०ए०एस०ऑफिसर हूँ और आपने मेरा फोन न उठाकर बदतमीजी की है।"

"मेरा द्वारा कथन किया गया कि मैडम मैं किसी मामले का Discussion फोन पर करने का औचित्य नहीं समझ पायी। Govt. Pleader अपनी बात कोर्ट में कह सकते हैं। मैडम ने कहा कि मैं Case Transfer करवा लूँगी। मैंने कहा कि बिल्कुल आप Transfer करवा लीजिये। मेरे द्वारा यह भी कहा गया कि यदि मुकदमा पुराना है तो न्यायालय के द्वारा एक सप्ताह के भीतर की ही तिथि नियत की जाती है।"

माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि कमीश्नर मैडम द्वारा अपने पद के प्रभाव का दुरूपयोग कर डराने और माननीय उच्च न्यायालय में शिकायत करने की धमकी देकर, अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। उनके द्वारा मेरे संस्कारों पर प्रश्न उठाया गया है जो कि कदापि उचित नहीं है। जिससे अधोहस्तारी काफी आहत है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय पर स्थानान्तरित करने की कृपा करें। यदि माननीय महोदय उचित समझे।

सादर!
दिनांक-04.08.2026
भवदीया

ह0/.
(शबीना खान)
सिविल जज (सी० डि०), गोण्डा

5. The contents of the above quoted letter/report dated 04.08.2025 shows that the learned Civil Judge (Senior Division), Gonda feeling offended by the phone call as referred in the aforesaid letter, reported the matter to her superior authority/competent authority and requested him to transfer the case to any other court.

6. Taking into notice the contents of the above quoted letter, this Court vide order dated 19.08.2026 passed the following orders:-

"1. Sri A. M. Tripathi, learned Senior Advocate, assisted by Sri Anurag Tripathi, learned counsel for the applicant; Sri Anil K. Tripathi, learned counsel for the Nagar Palika Parishad, Gonda; are present.

> 2. Sri Shailendra Kumar Singh, learned Chief Standing Counsel has accepted notice on behalf of the respondent No.2.
>
> 3. Learned counsel for the Nagar Palika Parishad, Gonda prays for a day's time to seek instructions in the matter.
>
> 4. Learned Chief Standing Counsel appearing for the respondent No.2 also prays for a day's time to seek specific instructions from the concerned authority on the allegations made in the instant petition.
>
> 5. On being asked as to what action has been taken by the learned Disrict Judge, Gonda on the letter dated 04.08.2026 written by the learned Civil Judge, Senior Division, Gonda, as contained in Annexure No. 8 to the instant petition; Sri Vijay Dixit, Advocate who appears for the High Court Administration, sought time to seek instructions from the concerned District Judge, regarding the action taken by him on the said letter.
>
> 7. Learned counsel for the applicant has furnished a copy of the said application to Sri Dixit in the Court today.
>
> 8. List this case on 21.08.2026 as fresh, in the list of fresh cases.
>
> 9. Office is directed to print the name of Sri Vijay Dixit as the counsel for the High Court Administration/respondent, in the cause list, when the case is next listed."

7. Shri Vijay Dixit, learned counsel appearing for the High Court Administration, on the basis of the instructions received by him from the Registrar (J) (Listing) dated 20.08.2026 has informed the Court that the learned District Judge, Gonda has already withdrawn the case titled as ‘Jyoti Vidya Mandir Vs. Nagar Palika Parishad’ having Regular Suit No. 721 of 1997 form the Court of learned Civil Judge (Senior Division), Gonda and transferred the same to the Court of learned Civil Judge (Senior Division)/F.T.C. *Naveen*/ACJM, Gonda and the next date fixed in the said case is 24.08.2026. He also placed before this Court a copy of the letter dated 09.08.2026 written by learned District & Sessions Judge, Gonda to the Registrar General of this Court wherein it is stated that taking note of the aforesaid letter dated 04.08.2026 written by learned Civil Judge (Senior Division), Gonda wherein she made request for the transfer of the case to some other Court; the case in

question has been transferred to the Court of learned Civil Judge (Senior Division)/F.T.C. *Naveen*/ACJM, Gonda.

8. Further, vide the said letter, learned District Judge, Gonda has requested the learned Registrar General of this Court to place the matter before the Court for perusal and for further orders, if any.

9. Shri Pritish Kumar, learned Senior Advocate/Additional Advocate General assisted by Shri Shailendra Kumar Singh, learned Chief Standing Counsel appearing for the State has submitted that since the matter has already been transferred from the Court of learned Civil Judge, (Senior Division), Gonda to another Court having equivalent jurisdiction; as such, the instant Transfer Application has lost its efficacy and prayed that the same may be dismissed as infructuous.

10. He further submitted that looking to the factual matrix of the case, the anxiety of the State-opposite parties is that the matter which is pending since long before the Court of learned Civil Judge (Senior Division), Gonda be decided expeditiously.

11. On being asked to address the Court regarding the allegations made by learned Civil Judge (Senior Division), Gonda vide her above quoted letter dated 04.08.2026, against the Divisional Commissioner concerned, who is arrayed as opposite party no. 3 herein; he could not deny the making of the phone call by opposite party no. 3, rather submitted that the purpose of the phone call in question was to know that how long the learned Civil Judge (Senior Division), Gonda will be on leave and whether she will be extending her leave or not. He further informed this Court that the concerned Divisional Commissioner has reported the matter to Hon'ble the Administrative Judge, Gonda vide letter dated 04.08.2026. The contents of the said letter dated 04.08.2026 signed by Ms. Gurga Shakti Nagpal, Commissioner, Devi Patan Mandal, Gonda, addressed to Hon'ble the Administrative Judge, Gonda; is extracted here-in-below for convenience:-

TACL No. 165 of 2026

प्रेषक,

दुर्गा शक्ति नागपाल,

आयुक्त

देवीपाटन मण्डल, गोण्डा

सेवा में

मा० न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया,

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

मा० प्रशासनिक जज, जनपद-गोण्डा

संख्याः 1211 / ओ०एस०डी० (गोपनीय रिपोर्ट)/2026 दिनांकः अगस्त 04, 2026

विषयः-

सामान्य वाद संख्या 721/1997 ज्योति विद्या मन्दिर आनन्दपुरी छावनीसरकार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में विपक्षी व अन्य अधिवक्ताओं के समक्ष भरी अदालत में श्रीमती सबीना खातून, सिविल जज (सी०डि०), गोण्डा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के प्रति अशोभनीय एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने एवं सरकारी वाद की सुनवाई से इन्कार करने के सम्बन्ध में:

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या: 1818/9-31-4-98-76/1998 दिनांकः 18-01-1999 के अनुक्रम में नगरपालिका परिषद, गोण्डा के अन्तर्गत बन्दोबस्त सोयम की नजूल भूमि गाटा संख्या 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 व 525 आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के नाम दर्ज है जिस पर प्रबन्धक व अधिवक्ता श्री दयानन्द मिश्र द्वारा ज्योति विद्या मन्दिर नाम से अवैध विद्यालय भवन बनाकर कब्जा कर रखा गया है। उनके द्वारा वर्ष 1997 में सामान्य वाद संख्याः 721/1997 योजित किया गया। यह वाद न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), गोण्डा पर अब तक (लगभग 30 वर्षों से) विचाराधीन है। सरकार की ओर से लिखित / मौखिक पक्ष / अभिलेख प्रस्तुत हो चुका है तथा गवाहों का बयान भी हो चुका है। पूर्व माहों सहित जुलाई माह में भी दिनांक 04-7-2026, 07-7-2026, 15-7-2026, 29-7-2026 की तिथियां लग चुकी हैं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक:21-4-2026 को आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा का पदभार ग्रहण किया गया। जनता दर्शन के दौरान प्रश्नगत सरकारी भूखण्ड पर 30 वर्ष से अवैध कब्जा होने तथा उसके बावत् सिविल न्यायालय में वाद विचरित होने के विषय में जानकारी मिली जिस पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय लेखपाल तथा शासकीय अधिवक्ता को वाद में अग्रिम नियत तिथि की जानकारी कर न्यायालय में उपस्थित होकर प्रभावी पैरवी करने का निर्देश दिया गया।

इसी क्रम में यह जानकारी होने पर कि पी०ओ० लम्बे अवकाश पर हैं, अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांकः 15-7-2026 को श्रीमती सबीना खातून, सिविल जज (सी०डि०), गोण्डा को फोन किया गया परन्तु फोन उनके द्वारा न उठाकर किसी और द्वारा उठाया गया। लगभग

एक घण्टे बाद उनका फोन आया और जब उनसे यह जानकारी के लिए आग्रह किया गया कि "आप कब तक अवकाश पर रहेंगी। आगे छुट्टी बढ़ायेंगी या नहीं" जिस पर उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि आप मुझसे यह नहीं पूछ सकती हैं। उल्लेखनीय है कि उनसे मेरे द्वारा प्रचलित मुकदमे पर कोई चर्चा नहीं की गई। इस फोन वार्ता के बारे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय को उसी दिन फोन से अवगत कराया गया एवं निवेदन किया गया कि इस मुकदमे को शीघ्र निस्तारित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।

दिनांक:03-8-2026 को पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला जज को उपरोक्त के क्रम में निवेदित किया गया क्योंकि अगले दिन वाद की तिथि नियत थी इस पर जिला जज द्वारा अधोहस्ताक्षरी का निवेदन स्वीकार करते हुए वाद के शीघ्र निस्तारण कराने हेतु आश्वस्त किया गया। क्षेत्रीय नायब तहसीलदार एवं लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा संख्या 721/1997 ज्योती विद्या मन्दिर बनाम नगरपालिका, गोण्डा में आज दिनांक:04-8-2026 की तिथि जिरह हेतु न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), गोण्डा पर नियत थी। उप जिलाधिकारी महोदय गोण्डा द्वारा मुझे मुकदमें की पैरवी हेतु नामित किया गया था। इसी क्रम में मैं आज क्षेत्रीय लेखपाल के साथ अदालत पर प्रातः 10.30 बजे गया था। उस समय सिविल जज महोदय तथा सरकारी अधिवक्ता नहीं थे। पेशकार से पूछा गया कि मैडम कब तक कोर्ट पर बैठेंगी तो पेशकार द्वारा अवगत कराया गया कि मैडम डिस्ट्रिक जज साहब के यहां गई हैं। हम लोग कोर्ट में ही पी०ओ० मैडम के आने का इन्तजार करने लगे। उसके बाद पी०ओ० मैडम लगभग 11.00 बजे कोर्ट पर बैठ गईं। बैठने के उपरान्त पुकार कराई गई। इस दौरान ज्योती विद्या मन्दिर की तरफ से अधिवक्ता एवं वादी न्यायालय पर उपस्थित थे। वादी अधिवक्ता के द्वारा उक्त मुकदमे के बारे में पूछने पर जज महोदया के द्वारा बोला गया कि अन्दर आदेश टाइप हो रहा है। जिस पर वादी अधिवक्ता ने कहा कि बिना मुझे सुने हुए आदेश कैसे बन रहा है। पी0ओ0 मैडम ने कहा कि मेरे ऊपर दबाव है। इस पर वादी के अधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय दबाव पर कब से चलने लगा। वादी के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि उक्त मुकदमे की तिथि 29-8-2026 नियत थी और अर्ली हियरिंग का प्रार्थनापत्र भी दिया गया था और बिना मुझे सूचित किये हुए 04-8-2026 की डेट कैसे लगा दी गई। पी०ओ० मैडम ने वादी के अधिवक्ता के इस कथन पर तारीख के बारे में पेशकार से पूछा गया तो पेशकार के द्वारा बताया गया कि मैडम आप छुट्टी पर थीं उस दौरान डेट को लेकर विवाद था इसलिए यह डेट ए०सी० जे०एम० महोदय के द्वारा लगाई गई थी। "इसके बाद पी०ओ० मैडम ने कहा कि आपकी कमिश्नर मैडम मेरी छुट्टी के बारे में फोन करके जानकारी ले रही थी। कमिश्नर कौन होती है मुझे फोन करके मेरे अवकाश के बारे में जानकारी लेने

वाली। आयुक्त महोदया के प्रति खुले न्यायालय में अमर्यादित, अशोभनीय तथा अपशब्दों का प्रयोग किया और यह कहा गया कि चाहे जितने दिन हम छुट्टी पर रहें और चाहे जितने दिन यह मुकदमा चले, इसमें चाहे सरकार का हित हो या अहित हो। इस मुकदमे की सुनवाई अब मैं नहीं करूँगी हम डी०जे० साहब को लिख कर दे दे रहे हैं। यही बात पी०ओ० महोदया ने कुछ समय बाद दुबारा बोला जिस समय सरकार पक्ष के अधिवक्तागण (डीजीसी, एडीजीसी, नगरपालिका के अधिवक्ता) तथा लेखपाल भी उपस्थित थे।"

इस प्रकार श्रीमती सबीना खातून, सिविल जज (सी०डि०), गोण्डा द्वारा खुले न्यायालय में अधोहस्ताक्षरी के प्रति अशोभनीय उद्बोधन किया जो कि निन्दनीय है एवं आचरण नियमावली के अनुरूप नहीं है।

अतः उक्त रिपोर्ट महोदय को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीया
ह0/.
(दुर्गा शक्ति नागपाल)
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा

12. Pursuant to the order dated 09.08.2026, learned Chief Standing Counsel has informed the Court that he has received instructions dated 20.08.2026 from the Divisional Commissioner, Gonda. Thus the said instructions as has been placed by learned Chief Standing Counsel is taken on record.

13. For convenience, the relevant portion of the said instructions duly signed by the Divisional Commissioner, Devi Patan Mandal, Gonda dated 20.08.2026 is extracted here-in-below:-

संक्षिप्त कथन

1-अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक: 21-4-2026 को आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा का पदभार ग्रहण किया गया। जनता दर्शन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के कार्यालय भवन निर्माण हेतु आरक्षित नजूल भूमि पर अवैध कब्जा है जिसके सम्बन्ध में 30 वर्ष के लम्बे अरसे से गोण्डा सिविल न्यायालय में वाद लम्बित है।

2-लम्बित वाद के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वाद न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), गोण्डा पर चल रहा है जिसकी पीठासीन अधिकारी श्रीमती शबीना खान है। पी०ओ० के स्टाफ से

ज्ञात हुआ कि पी०ओ० सबीना खान लम्बे अवकाश पर हैं व पुनः ज्वाइन करने की तिथि निश्चित नहीं है। दिनांक:15-7-2026 को अधोहस्ताक्षरी ने पी०ओ० से दूरभाष के माध्यम से उनके अवकाश के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया व पूछा कि क्या वे छुट्टी से लौटेंगी या छुट्टी बढ़ायेंगी। केवल इतनी ही बात हुई व वाद का कोई उल्लेख नहीं हुआ परन्तु पी०ओ० अत्यन्त क्रोधित हो गईं व कहा कि आप मुझसे यह नहीं पूछ सकतीं।

3-पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर न दिये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसी दिन (दिनांक: 15-7-2026) को जिला जज महोदय, गोण्डा से वाद के निस्तारण करवाने के बारे में अनुरोध किया गया जिस पर जिला जज महोदय द्वारा वाद को शीघ्र निस्तारित कराने हेतु आश्वस्त किया गया।

4-छुट्टी से वापस आने के बाद दिनांक:04-8-2026 को उक्त वाद की सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी श्रीमती शबीना खान द्वारा खुले न्यायालय में अशोभनीय टिप्पणी की गई। उनके द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया कि कमिश्नर कौन होती हैं मेरी छुट्टी के बारे में जानकारी लेने वाली और अब मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूँगी चाहे सरकार का हित हो या अहित हो।

5-अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त घटना प्रशासनिक न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के संज्ञान में लाई गई जिस पर उनके द्वारा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रेषित करने की अपेक्षा करने पर सम्पूर्ण प्रकरण की रिपोर्ट प्रेषित की गई (प्रति संलग्न)। प्रकरण के बारे में जनपद न्यायाधीश महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिलकर जानकारी भी दी गई।

6-अधोहस्ताक्षरी को जिला जज महोदय के माध्यम से जानकारी हुई कि श्रीमती शबीना खान पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त वाद को अपने न्यायालय से स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया है जिस पर उन्होंने वाद को एफ०टी०सी० नवीन पर स्थानान्तरित कर दिया है।

7-उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि नजूल के नाम से दर्ज है तथा आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा कार्यालय भवन निर्माण हेतु आरक्षित एवं दर्ज अभिलेख है। इस भूमि पर अधिकारी/कर्मचारी के आवास का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है और शेष भाग पर वर्ष 2013 से आर०टी०ओ० कार्यालय भवन बनकर संचालित है। वादी का उस पर कोई Locus standi नहीं है।

8-मा० न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रश्नगत वाद के स्थानान्तरण हेतु योजित रिट याचिका को निरस्त करने एवं वाद को शीघ्रातिशीघ्र निर्णीत करने हेतु अवर न्यायालय (एफ०टी०सी० नवीन), गोण्डा को निर्देशित करने की कृपा करें।

आयुक्त
देवीपाटन मण्डल
गोण्डा

14. Taking into consideration the fact that once the learned District Judge, Gonda taking notice of the situation has already transferred the case from the Court of learned Civil Judge, (Senior Division), Gonda to the Court learned Civil Judge (Senior Judge)/F.T.C. *Naveen*/ACJM, Gonda, this Court is of the opinion that the purpose of the present transfer application has lost its efficacy and as such, no further indulgence regarding the transfer of the case, at this stage, is warranted accordingly, the same is **consigned to record**.

15. However, on the request of learned counsel for the applicant, liberty is granted to the applicant to approach the learned District Judge, Gonda, by moving an appropriate application and to urge therein all such pleas and grounds as may be available to him in law. Needless to observe that any such application, if preferred, shall be considered by the learned District Judge, Gonda, strictly in accordance with law.

16. It is, however, made clear that in the event any application is preferred by the applicant before the learned District Judge, Gonda, the same shall be considered and decided strictly on its own merits and in accordance with law, uninfluenced by any observation contained herein and without being prejudiced by the dismissal of the present transfer application.

17. Although the instant Transfer Application has been ***dismissed*** for the reasons mentioned here-in-above but this Court cannot shut its eyes after taking notice of the contents of the letter dated 04.08.2026 written by learned Civil Judge (Senior Division), Gonda to the learned District judge, Gonda. The contents of the said letter pricks the conscious of this Court more particularly the following allegations:-

> "पुनः 2:32 मिनट पर उसी नम्बर से काल आती है। काल रिसीव करके मैंने पूछा कि बताइये कौन है आप तो मैडम बोली कि मैं कमीश्नर देवी पाटन मण्डल दुर्गा शक्ति नागपाल बोल रही हूँ। आप कब तक छुट्टी पर रहेगी। मैंने पूछा आप यह सब क्यूँ पूछ रही है।

क्यों जानना चाहती हैं और फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बार मुकदमें के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आपके कोर्ट में लम्बित है। मैंने फोन कट कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई कमीश्नर फोन करके क्यूँ किसी मुकदमें की बात करेगा और सरकारी वकील तो मुकदमें की पैरवी करने के लिए सरकार की तरफ से कोर्ट में आते ही है। मुझे यह भी नहीं पता था कि यह नम्बर कमीश्नर का है या एक Fake Call है।"

Further,

"फिर समय 3:32 PM पर मेरी बात कमीश्नर मैडम से हुयी तो उन्होंने फोन उठाते ही कहा कि अच्छा हुआ कि आपने मुझसे बात कर ली नहीं तो मैं आपकी शिकायत हाईकोर्ट करने वाली थी। आपको तमीज नहीं है कि सीनियर आई०ए०एस० ऑफिसर से कैसे बात करते हैं. मैं 27 साल की सर्विस में ऐसा ऑफिसर नहीं देखा। मुझे तो आपने व्यवहार से ऐसा लगा कि आप Judicial Officer है भी या नहीं। मैं बोलने की कोशिश करती रही कि मैडम आप पहले मेरी बात तो सुन ले लेकिन वह बोली कि आप मुझे पहले सुनिये आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया है अभी आप तो मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रही है और मुझे तो यह लग रहा कि कैसे संस्कार है आपके। मैं आपकी Subordinate नहीं हूँ। जो आपने मेरा फोन Disconnect कर दिया। मैंने कहा मैडम आप शिकायत करना चाहती है तो जरूर करे लेकिन मैं आपको छुट्टी का समय और अवधि बताने के लिए Bound नहीं हूँ। मैं लीव पर हूँ और कब तक रहूँगी यह मैं नहीं बता सकती मैं न तो आपको जानती हूँ न आपका नम्बर जानती हूँ। मैं कैसे जान सकती हूँ कि आप कौन बोल रही है। Fake Call भी आती है। लोग Identity का Misuse भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार का पक्ष किसी मुकदमे में रखने के लिए सरकारी वकील (पैरोकार) आते हैं और वह पर्याप्त होते हैं। यह सब कहने के बावजूद वह बहुत देर तक अपना क्रोध प्रकट करती रही कि मैं सीनियर आई०ए०एस०ऑफिसर हूँ और आपने मेरा फोन न उठाकर बदतमीजी की है।"

"मेरा द्वारा कथन किया गया कि मैडम मैं किसी मामले का Discussion फोन पर करने का औचित्य नहीं समझ पायी। Govt. Pleader अपनी बात कोर्ट में कह सकते हैं। मैडम ने कहा कि मैं Case Transfer करवा लूँगी। मैंने कहा कि बिल्कुल आप Transfer करवा लीजिये। मेरे द्वारा यह भी कहा गया कि यदि मुकदमा पुराना है तो न्यायालय के द्वारा एक सप्ताह के भीतर की ही तिथि नियत की जाती है।"

माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि कमीश्नर मैडम द्वारा अपने पद के प्रभाव का दुरूपयोग कर डराने और माननीय उच्च न्यायालय में शिकायत करने की धमकी देकर, अनुचित दबाव

> बनाने का प्रयास किया गया है। उनके द्वारा मेरे संस्कारों पर प्रश्न उठाया गया है जो कि कदापि उचित नहीं है। जिससे अधोहस्तारी काफी आहत है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय पर स्थानान्तरित करने की कृपा करें। यदि माननीय महोदय उचित समझे।
>
> (emphasis supplied by this Court)

18. The tone and language of the aforesaid alleged telephonic conversation given a direct impression that the Presiding Officer of the Court was tried to be influenced and that made her feel offended.

19. Despite opportunity given by this Court to the State/opposite parties, nothing has come on record as denial of making the phone call by the Divisional Commissioner/opposite party no. 3 to the learned Civil Judge (Senior Division) Gonda. It is shocking that how a litigating party can approach the Court by making such a phone call and that too in context with a pending matter before the said Court.

20. This Court cannot shut its eyes after noticing the insulting language used against the Judge on the alleged phone calls. This Court being the High Court is under obligation to protect the lower courts from being insulted or pressurized. All the courts function for the noble cause of dispensing justice, as such, they have to have full freedom and independence in settling the litgation. The Presiding Officers, who run the Courts and conduct the proceedings therein have to act fearlessly. Any action on the part of any person or litigant or lawyer which tends to pressurize the Court amounts to obtrust the process of justice; have to be depreciated so that the proceedings may be held in an ordinary fashion and everyone who participates in those proceedings must have the liberty to present their case for proper adjucation.

21. The Hon’ble Supreme Court in the case of ***IN RE: Ajay Kumar Pandey*** reported in ***(1996) 6 Supreme Court Cases 510*** has held that any threat of filing a complaint against the Judge in respect of judicial proceedings is a positive contempt to interfere with the due couse of administation of justice. The relevant paragarphs of the said judgment is quoted here-in-below for ready reference:-

> "41. In Dr. D. C. Saxena's case (supra), this Court has already laid down that if a Judge, on Account of the proceedings conducted by him in his court, is threatened that he would be prosecuted in a court of law for the judicial act done by him, it amounts to criminal contempt as it lowers and tends to lower the dignity of the court.
>
> 42. We are also of the same opinion. We may observe that any threat of filing a complaint against the Judge in respect of the judicial proceedings conducted by him in his own court is a positive attempt to interfere with the due course of administration of justice. In order that the Judges may fearlessly and independently act in the discharge of their judicial functions, it is necessary that they should have full liberty to act within the sphere of their activity. If, however, litigants and their counsel start threatening the Judge or launch prosecution against him for what he has honestly and bona fide done in his court, the judicial independence would vanish eroding the very edifice on which the institution of justice stands. It would also be in violation of the statutory protection available to the Judges and Magistrates under the Judicial Officers (Protection) Act as also the Judges (Protection) Act."

22. In view of the above, this Court *prima facie* finds that the matter requires indulgence by the Court dealing with criminal contempt matters.

23. Let the matter be placed before the appropriate Court dealing with the contempt matters after seeking directions from Hon'ble the Chief Justice/Hon'ble the Senior Judge.

(Syed Qamar Hasan Rizvi, J.)

August 21, 2026
Virendra

Digitally signed by :-
VIRENDRA KUMAR GUPTA
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench